JHJM030001502021

अनुसूची–I

जिला–जामताड़ा।
न्यायालयः–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जामताड़ा।
उपस्थित–मो0 नईम अंसारी, अपर मुख्य न्या0 दण्डा0, जामताड़ा।
निर्णय की तिथिः–28वीं जुलाई, सन् 2026 ई0
सामान्य पंजीयनवाद सं0–38/2021 (नारायणपुर थाना कांड सं0–28/2020) आरोप अनतर्गत धारा–341,323,337,504,506/34 भा0द0स0

सूचक	छोटी दास, पिता–स्व0 फोदी दास, उम्र लगभग–37 वर्ष, लिंग–पुरूष, साकिन–मोहडार, थाना–नारायणपुर, जिला–जामताड़ा स्थाई पता–ग्राम, वही, थाना–वही, जिला–वही
अभियोजन की ओर से	श्री प्रीतम कुमार बंटी, विद्वान सहायक लोक अभियोजक
अभियुक्तगण	1. कार्तिक दास, उम्र लगभग 36 वर्ष, पिता–स्व0 नरेश दास, लिंग–पुरूष, 2. मनोज दास, उम्र लगभग 30 वर्ष, पिता–स्व0 नरेश दास, लिंग–पुरूष, 3. विनोद दास, उम्र लगभग 30 वर्ष, पिता–स्व0 नरेश दास, लिंग–पुरूष, 4. कुन्ति दास, उम्र लगभग 30 वर्ष, पति–कार्तिक दास, लिंग–महिला सभी साकिन– मोहडार, थाना– नारायणपुर, जिला–जामताड़ा। वर्तमान–साकिन–वही, थाना–वही, जिला–वही।
अभियुक्तगण की ओर से	मो0 समसुल होदा, विद्वान अधिवक्ता

अनुसूची–II

घटना की तिथि	07.03.2020
प्राथमिकी की तिथि	08.03.2020
आरोप पत्र दाखिल करने की तिथि	30.06.2020
आरोप/अभियोग गठन की तिथि	07.12.2023
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	09.12.2023
निर्णय की तारीख सुरक्षित	23.07.2026
निर्णय की तारीख	28.07.2026
सजा आदेश की तारीख	नहीं

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्तगण का कम सं0	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर बाहर आने की तिथि	आरोपित अपराध	रिहा/दोषसिद्ध	दण्डित सजा	धारा–428, सी0आर0पी0सी0 के उद्देश्य से परीक्षण के दौरान हिरासत में बिताई गई अवधि
1.	कार्तिक दास	12.09.2023	12.09.2023	अन्तर्गत धारा–341,323, 337,504,506/34 भा0द0स0	रिहा	नहीं	नहीं
2.	मनोज दास	11.10.2023	11.10.2023	वही	वही	वही	वही
3.	विनोद दास	11.10.2023	11.10.2023	वही	वही	वही	वही
4.	कुंति दास	12.09.2023	12.09.2023	वही	वही	वही	वही

अनुसूची–III

अभियोजन साक्ष्य की सूची

ए0. अभियोजन की ओर से

श्रेणी	नाम	गवाह का स्वरूप (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी,चिकित्सक साक्षी, पंच साक्षी एवं अन्य साक्षी)
अभि0 साक्षी सं0–1	मुस्लिम मियां	पक्षद्रोही साक्षी
अभि0 साक्षी सं0–2	छोटी दास	सूचक
अभि0 साक्षी सं0–3	रेखा देवी	अन्य साक्षी

बी0 विपक्षी की ओर से कोई अन्य गवाहः

श्रेणी	नाम	गवाह का स्वरूप (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी,चिकित्सक साक्षी, पंच साक्षी एवं अन्य साक्षी)
नहीं	नहीं	नहीं

सी0 न्यायालय की ओर से कोई गवाहः

श्रेणी	नाम	गवाह का स्वरूप (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी,चिकित्सक साक्षी, पंच साक्षी एवं अन्य साक्षी)
नहीं	नहीं	नहीं

अभियोजन/विपक्षी/न्यायालय की ओर से प्रदर्श

ए. अभियोजन की ओर से–

श्रेणी	प्रदर्श नम्बर	विवरण
नहीं	नहीं	नहीं

बी. विपक्षी की ओर से–

श्रेणी	प्रदर्श नम्बर	विवरण
नहीं	नहीं	नहीं

सी. न्यायालय की ओर से–

श्रेणी	प्रदर्श नम्बर	विवरण
नहीं	नहीं	नहीं

डी. अन्य सामग्री/चीजें

श्रेणी	समग्री चीजें नम्बर	विवरण
नहीं	नहीं	नहीं

निर्णय

1. नामित अभियुक्तगणः– 1. कार्तिक दास, 2. मनोज दास, 3. विनोद दास एवं 4. कुन्ति दास को भा0द0स0 की धारा–341,323,337,504,506/34 के तहत् आरोप से आरोपित किया गया है। सूचक एवं उसकी पत्नी के साथ मारपीट, गाली–गलौज करने को लेकर अभियुक्तगण, विचारण का सामना कर रहे हैं।

2. अभियोजन का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि–दिनांक–07.03.2020 को शाम करीब 7:00 बजे कार्तिक दास अचानक सूचक एवं उसकी पत्नी को गंदी–गंदी गाली देने लगा। जब सूचक घर से निकलकर उसके घर के नजदीक जाकर उससे पूछा कि बिना कारण का गाली–गलौज क्यों कर रहे है तो वह गाली देते हुए सूचक के करीब आ गया एवं सूचक के साथ धक्का–मुक्की करने लगा। वह कह रहा था कि अपने परिवार में तुम अकेला ही बचा है। तुमको भी मारकर खत्म कर देंगे। तुम पति–पत्नी यहां पर घर एवं संपत्ति छोड़कर कही चले जाओं, यहां रहेगा तो जिन्दा नहीं छोड़ेंगे। इस बात को लेकर वह बराबर सूचक एवं उसकी पत्नी को परेशान करता रहता है। धक्का–मुक्की एवं मारपीट करते हुए कार्तिक दास, सूचक के पॉकेट से करीब चार सौ रूपया, जिसमें रद्दी कागज एवंकचरा बेचकर जमा किया था, उसे भी छीन लिया, जब सूचक की पत्नी, सूचक को घर ले जाने लगी तो अभियुक्त कार्तिक दास की पत्नी कुंती देवी पीछे से पत्थर से सूचक पर प्रहार कर दिया, जिसे उनके पैर में काफी चोट आई एवं चलने में परेशानी हो रही है। उसके बाद भी हमलोग घर आ गए। घटना के करीब दो घण्टें बाद रात करीब 9:00 बजे मनोज दास एवं विनोद दास दोनों गाली–गलौज एवं मरापीट करने लगे एवं यहां से भाग जाने के लिए कहने लगे। जाते–जाते अभियुक्तगण घर में से थाली एवं बर्तन भी साथ में उठाकर ले गए। तब सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर, प्रस्तुत वाद, उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध, पंजीकृत हुआ है।

3. सूचक छोटी दास के लिखित आवेदन के आधार पर नारायणपुर थाना काण्ड सं0–28/2020, दिनांक–08.03.2020 को भा0द0स0 की धारा– 341,323,379,504,506/34 के अन्तर्गत दर्ज किया गया।

4. अनुसंधानोपरांत, अनुसंधानकर्त्ता ने उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0स0 की धारा– 341,323,337,504,506/34 के अन्तर्गत, विचारण हेतु आरोप पत्र सं0–121/2020, दिनांक–30.06.2020 को संबंधित न्यायालय में समर्पित किया।

5. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य–सामग्री के आधार पर संबंधित न्यायालय द्वारा दिनांक–21.07.2020 को भा0द0स0 की धारा– 341,323,337,504,506/34 के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लेकर, विचारण हेतु, अभियुक्तगण के विरूद्ध सम्मन जारी करने का आदेश दिया गया।

6. अभियुक्तगण की उपस्थित एवं पुलिस पेपर की आपूर्ति के पश्चात्, दिनांक–07.12.2023 को भा0द0स0 की धारा– 341,323,337,504,506/34 के तहत, अभियोग का सारांश, अभियुक्तगण को पढ़ कर सुनाया व समझाया गया, जिसे अपने आप को दोषी, नहीं माना एवं विचारण का दावा किया। तत्पश्चात्

दिनांक–09.12.2023 से विधिवत् अभियोजन साक्ष्य प्रारम्भ हुआ।

7. अभियोजन पक्ष को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर देने के साथ–साथ न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए साक्षियों को सम्मन एवं कार्यालयी–पत्र, निर्गत करने के बाद, अभियोजन पक्ष का साक्ष्य, दिनांक– 23.07.2026 को बंद कर दिया गया।

8. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत कुल 03 (तीन) साक्षियों क्रमशः– अभियोजन साक्षी सं0–1 मुस्लिम मियां, अभियोजन साक्षी सं0–2 छोटी दास (सूचक) एवं अभियोजन साक्षी सं0–3 रेखा देवी (सूचक की पत्नी) को साक्ष्य हेतु परीक्षित कराया गया।

9. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत मामले में कोई साक्ष्य–दस्तावेजी अथवा मौखिक प्रस्तुत नहीं किया है।

10. उपरोक्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 द0प्र0सं0, दिनांक–23.07.2026 को अभिलिखित किया गया, जिसमें उक्त अभियुक्तगण ने, अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य को गलत बताते हुए सफाई में अपने को निर्दोष बताया।

11. अब मेरे समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए उपरोक्त आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल हो पाया हैं अथवा नहीं ?

<u>निष्कर्ष</u>

12. परिक्षित अभियोजन साक्षी सं0–1 मुस्लिम मियां ने घटना का लेषमात्र समर्थन नहीं किया, तत्पश्चात् अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया।

13. अभियोजन साक्षी सं0–2 छोटी दास (सूचक) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि–घटना वर्ष 2020 की है। मेरा एवं मेरे गोतिया लोगों के बीच खाने–पीने को लेकर बाता–बाती हो गया था, जिस कारण कार्तिक दास, विनोद दास, मनोज दास एवं कुंति देवी के विरूद्ध केस कर दिया था। अभियुक्तगण मेरे पड़ोस के ही रहने वाले है, जिस कारण छोटी–मोटी बात को लेकर झंझट हो गया था। झंझट–झमेला में मुझे हाथ में चोट लगा था, जिसका ईलाज मैंने अस्पताल में कराया था। झगड़ा के समय मेरी पत्नी रेखा देवी आयी थी, जिसे भी चोट लगा था। जिसके बाद नारायणपुर थाना में अभियुक्तगण के विरूद्ध एक लिखित आवेदन दिया था, जिस पर टीप का निशान है। अभियुक्तगण को पहचानता हूं।

उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि–कार्तिक दास मेरा बड़ा भाई है। अभियुक्तों के साथ जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था। मुझे किसने धक्का दिया था, नहीं बता सकता हूं। जमीन पर गिर गया था, जिससे चोट लगा था। आपस में दोनों पक्षों के बीच बाता–बाती हुआ था। इस कारण थाना चला गया था। थाना में दिया गया आवेदन किससे लिखवाए थे, नहीं बता सकता हूं। आवेदन में क्या लिखा है, पढ़कर नहीं सुनाया गया था। केवल अंगुठे का निशान लगाया था। चूंकि हमलोग दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गया है, इसलिए अब यह केस आगे नहीं चलाना चाहते है। वर्तमान में दोनों पक्षों के बीच शांति है। अब और कोई गवाही नहीं देना चाहता हूं। मेरी पत्नी के साथ

किसने गाली–गलौज किया था, नहीं बता सकता हूं।

14. अभियोजन साक्षी सं0–3 रेखा देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा हैं कि– घटना वर्ष 2020 की है। घटना के दिन मेरे पति छोटी दास तथा मेरे गोतिया कार्तिक दास, मनोज दास, विनोद दास एवं कुंति देवी के बीच आपसी विवाद को लेकर झगड़ा–झंझट हो रहा था। हल्ला सुनकर घर से बाहर निकली और गांव वालों को इकट्ठा कर मामला को शांत करायी। धक्का–मुक्की में मेरे पति को हल्की–फुल्की चोट आयी थी। इलाज के बाद मेरे पति द्वारा थाना में यह मामला दर्ज कराया गया। अभियुक्तगण को पहचानती हूं।

उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा हैं कि– अभियुक्त कार्तिक दास रिश्ते में भैंसूर लगते है। पुलिस के पास मेरा बयान नहीं हुआ था। इसी दिन की घटना को लेकर कार्तिक दास द्वारा मेरे विरूद्ध केस किया था, जिसका जी0आर0 केस नं0–325/2021 है, जो सुलह के आधार पर खत्म हो गया। दोनों पक्षों की जमीन एक ही पर्चा में है। दोनों पक्षों के बीच जमीन बंटवारा को लेकर झगड़ा हुआ था। हमलोग यह केस आपस में सुलह कर लिए है। वर्तमान में अभियुक्तों के साथ कोई झगड़ा नहीं है। मेरे साथ किसने धक्का–मुक्की किया था, नहीं बता सकती हूं। मेरे साथ किसी प्रकार का कोई मारपीट नहीं हुआ था।

15. बहस के दौरान– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस मामले में कुल 03 (तीन) साक्षियों को परीक्षित कराया गया, जिसमें से अभियोजन साक्षी सं0–1 पक्षद्रोही साक्षी है। अभियोजन साक्षी सं0–2 छोटी दास (सूचक) एवं अभियोजन साक्षी सं0–3 रेखा देवी (सूचक की पत्नी) ने कहा हैं कि– अभियुक्तगण से सुलह हो गय है। अंत में बचाव पक्ष ने यह तर्क दिया है कि प्रस्तुत तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, वर्तमान आरोपी को बरी किया जावें।

16. बहस के दौरान– अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि परीक्षित कुल 03 (तीन) साक्षियों, जिसमें से अभियोजन साक्षी सं0–2 छोटी दास (सूचक) एवं अभियोजन साक्षी सं0–3 रेखा देवी (सूचक की पत्नी) ने अभियुक्तगण के साथ सुलह कर लेने की बात कही है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद अन्तर्गत समुचित आदेश पारित किया जावें।

17. अब अभियुक्तगणगण के विरूद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा– 341,323,337,504,506/34 भा0द0स0 के संबंध में विचार करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए, साक्षियों के साक्ष्य पर विचार किया जाना आवकश्यक है। अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सूचक ने उपरोक्त अभियुक्तगणगण से सुलह कर लिया हैं और संयुक्त सुलहनामा भी दाखिल किया है जो अभिलेख पर उपलब्ध है। दाखिल संयुक्त सुलहनामा एवं लगाए गए आरोपों पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि आरोप अन्तर्गत धारा– 341,323,337,504,506/34 भा0द0स0, द0प्र0सं0 की धारा–320(i) एवं (ii) के अन्तर्गत सुलहनीय प्रकृति के हैं।

18. आरोप अन्तर्गत धारा– 341,323,337,504,506/34 भा0द0स0 सुलहनीय प्रकृति के है। प्रस्तुत प्रसंग में

संयुक्त सुलहनामा दाखिल करते हुए, अभियोजन साक्षी सं0–2 (सूचक) ने कहा हैं कि–अभियुक्त कार्तिक बड़ा भाई है। अभियुक्तों के साथ जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था। इन्हें किसने धक्का दिया था, नहीं बता सकते हैं। जमीन पर गिर गया था, जिससे इन्हें चोट लगा था। आगे कहे है कि थाना में दिया गया आवेदन किससे लिखवाया था, नहीं बता सकता हूं। आवेदन में क्या लिखा था, पढ़कर नहीं सुनाया गया था, केवल इन्होंने अंगुठे का निशान लगाया था। आगे कहे है कि दोनों पक्षों के बीच केस सुलह हो गया है और यह केस आगे नहीं चलाना चाहते है और न ही अब कोई गवाही देना चाहते है। साथ ही कहते है कि इनकी पत्नी के साथ किसने गाली–गलौज किया था, नहीं बता सकता हूं।

अभियोजन साक्षी सं0–3 (सूचक की पत्नी) ने अपने साक्ष्य के दौरान यह कहा है कि–अभियुक्त रिश्ते में भैंसूर लगते है। पुलिस के द्वारा इनका बयान नहीं लिया गया था। उक्त तिथि की घटना को लेकर कार्तिक दास द्वारा इनके तथा इनके पति के विरूद्ध केस किया गया था, जो सुलह के आधार पर खत्म हो गया है। दोनों पक्षों का जमीन एक ही पर्चा में है। दोनों पक्षों में जमीन बंटवारा को लेकर झगड़ा हुआ था। दोनों पक्षों में सुलह हो गया है और वर्तमान में अभियुक्तगण से कोई झगड़ा नहीं है। आगे कहते है कि इनके साथ किसने धक्का–मुक्की किया था, नहीं बता सकता हूं। इनके साथ किसी प्रकार का मारपीट नहीं हुआ था।

अतः उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य विश्लेषण एवं सुलहनामा को स्वीकार करते हुए उपरोक्त अभियुक्तगण को उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

19. अतः अभियुक्तगणः–1. कार्तिक दास, 2. मनोज दास, 3. विनोद दास एवं 4. कुन्ति दास को अन्तर्गत धारा– 341,323,337,504,506/34 भा0द0स0 के आरोपों से सुलहनामा के आधार पर दोषमुक्त किया जाता हैं। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, अतः इनके प्रतिभूओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

प्रस्तुत निर्णय, अभियुक्तगण को खुले न्यायालय में सुनाया गया। कार्यालय लिपिक अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित एवं शुद्धित)

ह0/–

(मो0 नईम अंसारी),
अपर मुख्य न्या0 दण्डा0, जामताड़ा।
दिनांकः–28वीं जुलाई, 2026 ई0
आई0डी0 नं0– जे एच 00561

(लेखापित)

ह0/–

(मो0 नईम अंसारी),
अपर मुख्य न्या0 दण्डा0, जामताड़ा।
दिनांकः–28वीं जुलाई, 2026 ई0
आई0डी0 नं0– जे एच 00561